न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 494–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 409/अपील/2012–13.

दुलीचंद पिता श्रवण
निवासी ग्राम देवरी माल
तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

रामदास पिता श्यामा
निवासी ग्राम देवरी माल
तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

श्री संजय शाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवरी माल के कोटवार अनावेदक रामदास को तहसीलदार, नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–56/01–02 में दिनांक 2–3–2002 को आदेश पारित कर सेवा से पृथक किया गया एवं उक्त रिक्त पद पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–12–2002 को आदेश पारित कर आवेदक दुलीचंद पिता श्यामा को देवरी माल के कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–3–2002 के विरूद्ध राजस्व मण्डल तक प्रकरण प्रचलित

हुआ है, और राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 74–पीबीआर/05 में दिनांक 23–4–2010 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि अनावेदक को आरोपों के संबंध में आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें, तत्पश्चात आरोपों के संबंध में साक्ष्य प्रति–साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें । इस न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 133/बी–121/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर जिला बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 30 के अंतर्गत प्रकरण तहसीलदार नेपानगर से अन्य तहसीलदार को स्थानांतरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पत्र कमांक क/वा–1/11/144 दिनांक 11–5–2011 से प्रकरण तहसीलदार खकनार जिला बुरहानपुर को स्थानांतरित किया गया। तद्नुसार तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–56/2010–11 दर्ज किया जाकर दिनांक 30–6–2011 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त करने सम्बंधी आदेश दिनांक 17–12–2002 शून्य घोषित किया जाकर अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–8–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–6–2011 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–2–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–6–2011 यथावत रखा गया एवं अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि 12 वर्ष से आवेदक निरंतर कोटवार के पद पर कार्य कर रहा है, और उसके विरूद्ध ग्रामवासियों

द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है, और वे कोटवार के कार्य से संतुष्ट हैं । अतः बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये उसकी नियुक्ति आदेश को शून्य घोषित करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–6–2011 की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा चुकी है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार आवेदक के कोटवार पद पर नियुक्ति आदेश को शून्य घोषित नहीं कर सकते हैं, और न ही उन्हें शून्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदक 12 वर्ष से निरंतर कोटवार के पद पर कार्य कर रहा था, इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था, किन्तु तहसीलदार द्वारा उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कोटवार पद के उपयुक्त नहीं है, और बर्खास्तगी उचित थी, इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिन आरोपों के आधार पर आवेदक को हटाया गया था, उसके संबंध में विचार कर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1988 आर.एन. 308, 1995 आर.एन. 164, 1987 आर.एन. 208 एवं 2014 आर.एन. 24 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–3–2002 को आदेश पारित कर अनावेदक रामदास को कोटवार पद से पदच्युत किया गया है, और रिक्त कोटवार पद पर दिनांक 17–12–2002 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया है । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक की पत्नी शोभाबाई एवं पुत्र अनिल द्वारा पृथक–पृथक दो अपीलें अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–4–2003 को आदेश पारित कर दोनों अपीलें निरस्त की गई हैं, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अन्तिम हो गया है । तहसीलदार द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश दिनांक 17–12–2002 के विरूद्ध इस न्यायालय तक प्रकरण प्रचलित हुआ, और इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 74–पीबीआर/05 में दिनांक 23–4–2010 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि अनावेदक को आरोपों के संबंध में विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें, तत्पश्चात आरोपों के संबंध में आवेदक को साक्ष्य प्रति–साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें । उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक की दिनांक 17–12–2002 को कोटवार पद पर नियुक्ति हुई है, तब से लगभग 9 वर्ष तक आवेदक द्वारा निरन्तर कोटवार के पद पर कार्य किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सुने उसकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि तहसीलदार के जिस आदेश दिनांक 17–12–2002 की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा चुकी है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाने से वह अंतिम हो गया है, ऐसे आदेश को निरस्त करने का अधिकारी तहसीलदार को नहीं था, स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 17–12–2002 को निरस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अनावेदक पर लगे आरोपों के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाकर उसकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई है, जो कि जहां विधि एवं न्याय की गंभीर हुई है, वहीं इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की गई है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक उस पर लगे आरोपों को गलत साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है । जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की नियुक्ति नियमानुसार की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित

कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2015 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2012 यथावत रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर